न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 80 / 2022

अपीलांट –

विवेक आर्य पुत्र ओमप्रकाश आर्य
जाति नायका साकिन पाबूपुरा
तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

औपचारिक पक्षकार

2. अणदाराम पुत्र ताराराम
3. खूमाराम पुत्र मंगलाराम
4. गोरधनराम पुत्र वृद्धाराम
5. चिमनाराम पुत्र भाणाराम
6. जीवणाराम पुत्र दलूराम

जाति भील निवासी हाथमा तहसील रामसर ज़िला बाड़मेर

7. टीलाराम पुत्र मंगलाराम
8. पुरखाराम पुत्र ताराराम
9. पारू पुत्र लखमा
10. बाबूराम पुत्र वृद्धाराम
11. भगाराम पुत्र भाणाराम
12. भैराराम पुत्र जालाराम
13. भंवराराम पुत्र भाणाराम
14. मूमल पत्नी लखमाराम
15. राधा पुत्री जालाराम
16. सगताराम पुत्र वर्धाराम
17. हुकमाराम पुत्र लखमाराम

जाति भील निवासी लक्ष्मणपुरा पटवार मण्डल बालेरा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 67 दिनांक 27.09.2022 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खारिज किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री एल0के0 रामधारी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित रहने से एकतरफा।

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 30.06.2023

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम लक्ष्मणपुरा तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 67 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश दिनांक 27.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा लक्ष्मणपुरा के खसरा नम्बर 260 रकबा 20.1452 हैक्टर भूमि जीवणाराम पुत्र दलूराम जाति भील निवासी हाथमा के नाम अन्य खातेदारान के साथ हिस्सा 1/4 खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जीवणाराम द्वारा अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2011 अपीलांट के पक्ष निष्पादित किया गया तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी बालेरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 67 दिनांक 16.05.2022 दायर कर हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच उपरांत तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। भू–अभिलेख निरीक्षक गरल द्वारा जांच उपरांत अंकित किया कि क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि पुरानी है। क्रेता की जाति नायका हैं जो कि अनुसूचित जाति (SC) में आती हैं। जबकि भूमि अनुसूचित जनजाति की हैं। अतः विवादास्पद नामांतरकरण होने से निर्णय हेतु श्रीमान राजस्व अधिकारी (तहसीलदार बाड़मेर) की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक की इस टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) के तहत उक्त अंतरण प्रतिबंधित होना मानते हुए आदेश दिनांक 27.09.2022 के द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 21.10.2022 को प्रस्तुत की गई हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा लक्ष्मणपुरा के खसरा नम्बर 260 रकबा 20.1452 हैक्टर भूमि जीवणाराम पुत्र दलूराम जाति भील निवासी हाथमा के नाम अन्य खातेदारान के साथ हिस्सा 1/4 खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जीवणाराम द्वारा अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2011 अपीलांट के पक्ष निष्पादित किया गया। उक्त विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति के खातेदारान के नाम से दर्ज थी तथा अपीलांट भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होने से विधिपूर्ण अन्तरण द्वारा विक्रय–पत्र निष्पादित कराया गया था। अपीलांट के नाम तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक : विविध/प्रमाण–पत्र/94/4812 दिनांक 14.07.94 जारी किया गया हैं जिसमे अपीलांट की जाति नायका समुदाय का जिसे सूची संख्या 10 पर अनुसूचित जनजाति के रूप में उल्लेख किया गया हैं। अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमि वक्त खरीद तत्कालीन हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण हेतु रजिस्ट्री की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी थी। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दायर करने का आश्वासन दिया किन्तु जानबूझकर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। इसके पश्चात अपीलांट ने जरिये आम मुख्तयारनामा घेवरलाल पुत्र शेराराम निवासी गूजरावास बनाड़ जिला जोधपुर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.01.2022 पेश किया गया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांकः 320 दिनांक 20.01.2022 को हल्का पटवारी को नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही/जांच बाबत अग्रेषित किया गया। इस पर हल्का पटवारी बालेरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 67 दायर कर जांच हेतु भू–अभिलेख

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की वास्तविक तथ्यों एवं दस्तावेजों से परे टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2022 पारित करते हुए अपीलांट के नाम दायर नामान्तरकरण सं. 67 को खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आलौच्य हस्तान्तरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया हैं और न ही उक्त अन्तरण किसी प्रकार से प्रतिबंधित हैं। उक्त विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के काश्तकार की खातेदारी में दर्ज थी तथा अपीलांट भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हैं, इसके बावजूद भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा वास्तविक तथ्य से परे टिप्पणी की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने विधि एवं तथ्यों को अनदेखा करने की भारी भूल की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का भी अवसर प्रदान नहीं किया जिससे उक्त आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित होने से भी निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 67 पर पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेंट औपचारिक पक्षकार होने से जवाब आवश्यक नहीं है, इसके बावजूद दौरान सुनवाई अनुपस्थित।

हमने अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा लक्ष्मणपुरा के खसरा नम्बर 260 रकबा 20.1452 हैक्टर भूमि जीवणाराम पुत्र दलूराम जाति भील निवासी हाथमा के नाम अन्य खातेदारान के साथ हिस्सा 1/4 खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जीवणाराम द्वारा अपने सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि का पंजिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.09.

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2011 अपीलांट के पक्ष निष्पादित किया गया तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर हल्का पटवारी बालेरा द्वारा नामान्तरकरण सं. 67 दिनांक 16.05.2022 दायर कर हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच उपरांत तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया। भू–अभिलेख निरीक्षक गरल द्वारा जांच उपरांत अंकित किया कि क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि पुरानी है। क्रेता की जाति नायका हैं जो कि अनुसूचित जाति (SC) में आती हैं। जबकि भूमि अनुसूचित जनजाति की हैं। अतः विवादास्पद नामांतरकरण होने से निर्णय हेतु श्रीमान राजस्व अधिकारी (तहसीलदार बाड़मेर) की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक की इस टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) के तहत उक्त अंतरण प्रतिबंधित होना मानते हुए आदेश दिनांक 27.09.2022 के द्वारा नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा इस अपील के संलग्न तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 14.07.94 एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा ऑनलाईन जारी जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 04.11.2022 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो ही प्रमाण–पत्रों में अपीलांट की जाति नायका जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना प्रतीत होता हैं। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रमाण–पत्रों की पुष्टि हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से रिपोर्ट ली गई, जिस पर उपखण्ड जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2023 के द्वारा अवगत कराया हैं कि विवेक आर्य की जाति नायका, क्रमांक 10 पर अंकित हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इस प्रकार अपील के मूल विवाद में तथ्य का विवाद्यक उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित हो गया हैं कि अपीलांट अनूसूचित जनजाति वर्ग से है तथा विवादित अन्तरण विधिपूर्ण हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 67 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2023 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा लक्ष्मणपुरा के नामान्तरकरण सं. 67 पर पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख पर लेते हुए नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उचित जांच उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

25.07.23	अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली अभिलेख से बरामद की गई । अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 में पद सं. 6 व 7 में अपीलाधीन आदेश की दिनांक 27.09.2022 के स्थान पर 27.09.2023 टंकण की भूलवश अंकित हो गया हैं। अतः न्यायहित में उक्त लिपिकीय भूल का सुधार किया जाकर निर्णय में संशोधन किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 30.06.2023 में पद सं. 6 व 7 में अपीलाधीन आदेश की दिनांक लिपिकीय भूलवश गलत अंकित कर दी गई हैं। यह एक लिपिकीय भूल है जिसे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 में पद सं. 6 व 7 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2023 के स्थान अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2022 अंकित करते हुए त्रुटि सुधार किया जाता हैं। यह आदेश मूल निर्णय दिनांक 30.06.2023 का भाग रहेगा। तहसीलदार बाड़मेर को संशोधन आदेश की सत्यप्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हों। जिला कलक्टर बाड़मेर	